

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
फोजाराम पुत्र जैसाराम जाति माली, निवासी अम्बावाडी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		जैसाराम पुत्र गिरधारीराम जाति माली, निवासी अम्बावाडी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (07)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88,40,209,188)

मुकदमा नम्बर 145/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.2024	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 40, 209, 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 11.12.24 को पेश हो।	3239-46 07/11/24
11.12.24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली में आज कोई प्रवादी कार्यवाही नहीं होने कारण इत्यादि होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 7.2.25 को पेश हो।	
7.2.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पोठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्यादि होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30.4.25 को पेश हो।	
30.04.25	पत्रावली पेश हुई। द्वारा दिनांक के स्यातीय सबगशा होने के कारण पत्रावली पूर्व दिनांक 05/06/25 को पेश हो।	
5.6.25	पत्रावली पेश। वादी वकील रुप। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामिली हेतु दिनांक 7.7.25 को पेश हो।	



सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

नम्बर
अहकाम
म की
जारी हुए
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

27-10-25

पत्रावली पेशा वारी वहीत अनुपस्थित।
पत्रावली में उभावी पैरवी हेतु न्यायालयतमप
में वारी व वारी साधिवक्ता को रुक-रुककर
साक्षात् ही जाने के बावजूद अनुपस्थित।
अतः पत्रावली में कोई उभावी पैरवी नहीं
होने तथा वारी व वारी साधिवक्ता के मृत्यु
रहने पर इन्हें बाद मरण दाखरी व मरण पैरवी
में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से उम होकर शक्ति
दस्तावेज


सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)